कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ।

पत्रांक 289 / नक्शा / नि0वि0 / जि0प0 / 2020–2021 दिनांक 19 अगस्त, 2020

मेसर्स समृद्वि इन्फास्टेट प्रा0लि0 प्रो0 श्री सुधीर गुप्ता
पुत्र श्री उमेश गुप्ता, नीलगिरि काम्प्लेक्स,
कपडाकोठी, लखनऊ।
मेसर्स सुखसमृद्वि अल्फास्टेट प्रा0लि0
प्रो0 श्री सुनील श्रीवास्तव पुत्र श्री आर0बी0 श्रीवास्तव
निवासी कपडाकोठी, फैजाबादरोड, लखनऊ।
एवं श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मन्नू
निवासी मेहदीटोला, वार्ड बेगम हजरत, लखनऊ।
ग्रामसभा गौरा
विकास खण्ड मोहनलालगंज
तहसील–मोहनलालगंज
जनपद लखनऊ।

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर समयक विचारोपरान्त मा0 अध्यक्ष जी के आदेश दिनांक 19.08.2020 के परिपालन में मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ग्रामसभा गौरा विकास खण्ड मोहनलालगंज तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ मे आवासीय भवनों का कार्य कराये हेतु खसरा संख्या 483ख, 504क, 177, 396, 459, 469, 485, 486, 488, 493, 495 मे प्रस्तुत मानचित्र में प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार 7700.40 वर्गमीटर में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों सहित दी जाती है।

1–प्रस्तावित भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाये।
2–जल–मल की निकासी मार्ग की ओर न की जाये।
3–मख्य मार्ग के मध्य से बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबधित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स 1965 के नियम–7 यथावत् लागू रहेगें।
4–प्रतिबन्ध रहेगा कि आवासीय भवनों का निर्माण कार्य 7700.40 वर्गमीटर में ही कराया जाये।
5–प्रतिबन्ध रहेगा कि प्रस्तुत शपथ पत्र में आधार पर सम्यक विचारोपरान्त 143 आदेश दो माह के अन्दर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6–प्रतिबन्ध रहेगा कि मानचित्र में दर्शित सडक, पार्क, सीवर सर्विसेज एवं रेनवाटर हारर्वेस्टिंग आदि कार्य कराया जाना अति–आवश्यक होगा।
7–प्रतिबन्ध रहेगा कि उत्तर प्रदेश रेरा मे पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
8–भविष्य में लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम आने की दशा मे जिम्मेदारी जिला पंचायत, लखनऊ की न होगी।
9–भूमि सम्बन्धी विवाद होने की दशा में जिला पंचायत, लखनऊ जिम्मेदार न होगा।
10–प्रतिबन्ध रहेगा कि दो वर्ष के अन्दर कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शें/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन/परिवर्धन नही किया जायेगा। भू–स्वामित्व एवं किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी।

अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखनऊ

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1– सचिव, उत्तर प्रदेश रेरा, लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड लखनऊ।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखनऊ